राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 412/2025

डॉ. हंसराज जिंदालिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. डॉ. महेंद्र सिंह, पशुधन अधिकारी, पशु चिकित्सालय, बिलोद, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.02.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश बिश्नोई, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसवाड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, अचरोल, आमेर जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से बीवीएचओ, कोटखावदा जिला जयपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने के उद्देश्य से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के आर.एस.आर के नियम–20 का उल्लंखन करते हुए निम्न पद पर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर डॉ अजय कुमार शर्मा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के विरूद्ध है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दिनांक 04.03.2019 (अनुलग्नक–2) से कार्यरत है। अपीलार्थी की पत्नी मस्तिष्क की गांठ से ग्रसित है। जिसका निरन्तर ईलाज चल रहा है, उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा

परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है (अनुलग्नक–4)। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 452/2025 डॉ. शम्भूदयाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2025 (अनुलग्नक–3) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, अचरोल, आमेर जिला जयपुर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, अचरोल, आमेर जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से बीवीएचओ, कोटखावदा जिला जयपुर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)	**(लेखराज तोसवड़ा)**
सदस्य	**सदस्य**